संख्या- 38/988/84-1-13-14बामा/2013

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 03 अक्टूबर, 2013

विषय- वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, गजरौला कार्यालय/प्रयोगशाला भवन किराया स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 355/निविमावि-4 भवन(गजरौला) 114/08, दिनॉक 23 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनॉक 25 नवम्बर, 2011 में विवरण पृत्र-।।।- मकान का किराया की टिप्पणी-2 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि ''कारपेट एरिया'' का तात्पर्य भवन के फ्लोर एरिया से है, जिसमें किचेन, बाथरूम, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसेज के फ्लोर एरिया शामिल नहीं होगें तो प्रस्ताव में किस आधार पर गैलरी के क्षेत्रफल को सम्मिलित किया गया है अत: अनुरोध है कि कृपया उक्त पर स्थिति स्पष्ट कराते हुए परिक्षणोंपरान्त समुचित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in